राजस्थान गोदाम अधिनियम, 1958

विषय सूची

अध्याय-1

प्रारम्भिक

क्र.सं.	नाम	पृष्ठांक
1.	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारम्भ	3
2.	निर्वचन	3
	अध्याय-2 गोदाम के लिये लाइसेन्स	
3.	गोदाम वाला	4
4.	लाइसेन्स दिया जाना	4
5.	लाइसेन्स के लिये शर्ते	4
6.	लाइसेन्स का नवीकरण तथा उसकी अवधि	4
7.	लाइसेन्स मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करने का नोटिस	4
8.	लाइसेन्स का निलंबन तथा अपखंडन	4
9.	लाइसेन्स के निलंबन तथा अपखंडन का नोटिस	5
10.	लाइसेन्स की वापसी	5
11.	लाइसेन्स की दूसरी प्रति	5
	अध्याय-3 गोदाम वालों के कर्तव्य	
12.	जमा कराये गये माल की यथोचित देखभाल	5
13.	माल को हानि अथवा क्षति से बचाने के निमित्त पूर्वोपाय	5
14.	माल की पहिचान कायम रखना	5
15.	माल जब गोदाम में बिगड रहा हो उसका निपटारा	6
16.	माल की डिलीवरी	6
17.	संग्रहीत माल में कमी अथवा आधिक्य के लिये गोदामवाले का दायित्व	6
18.	गोदाम में रखे माल का बीमा	6
19.	विभेद निषिद्ध	6
20.	गोदामवाला गोदाम में रखे माल के सम्बन्ध में व्यापार नहीं करेगा और उसके बदले में उधार नहीं देगा	7
21.	लेखे आदि का रखा जाना	7
	अध्याय-4 माल का वर्गीकरण तथा निरीक्षण	
22.	निरीक्षण	7
23.	तोलने वाला, नमूने देने वालों (Samplers) और वर्गीकरण करने वालों द्वारा लाइसेन्स लिया जाना	7
24.	ऐसे लाइसेन्सों के विषय में प्रावधान	7-8
25.	माल इत्यादि के तोलने के लिये सुविधाएं दिया जाना	8

क्र.सं.	नाम	पृष्ठांक
	अध्याय-5 गोदाम की रसीदें	
26.	रसीद जारी किया जाना	8
27.	गोदामों में जमा माल की रसीदें	8
28.	रसीद की दूसरी प्रतिलिपि	8
	अध्याय-6 विविध	
29.	निर्धारित प्राधिकारी की कतिपय आज्ञाओं के विरूद्ध अपील	8
30.	लाइसेन्स के निलंबन या अपखंडन पर कोई मुआवजा न दिया जाना	8
31.	अधिनियम के विरूद्ध संविदाओं तथा करारों का प्रवृत्तहीन होना	9
32.	शास्ति और प्रक्रिया	9
33.	निरीक्षण के लिए सुविधाएं	9
34.	नियम	9-10
35.	मुक्त करने की शक्ति	10
36.	निरसन	10
	अनुसूची	10

विधि एवं न्याय (क) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, दिसम्बर 29, 1958

संख्या एफ. 4 (55) एल.जे.।ए। 57:- राजस्थान आफिशियल लेंग्वेज एक्ट, 1956 (एक्ट सं. 47, सन् 1956) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान वेयर हाउसेज एक्ट, 1958 (एक्ट सं. 48, सन् 1958) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान गोदाम अधिनियम, 1958

(अधिनियम सं. 48, सन 1958)

(राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 1958 को प्राप्त हुई)

स्वतन्त्र गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा उनकी ठीक देखरेख एवं नियन्त्रण का प्रावधान करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के नवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम राजस्थान गोदाम अधिनियम, 1958 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रभाव में आयेगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

2. निर्वचन:- इस अधिनियन में, जब तक विषय अथवा संदर्भ में कोई बात विपरीत न हो,-

(क) सहकारी समितिष् से तात्पर्य किसी ऐसी समिति से है जो राजस्थान कोपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1953 (राजस्थान एक्ट 4 ऑफ 1953) के अन्तर्गत पंजीयित हो या पंजीयित की गई मानी गई हो।

(ख) "जमा कराने वाले व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो गोदाम वाले को उसके गोदाम में रखे जाने के लिये अपना माल देता है और उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जो गोदाम वाले के द्वारा ऐसे माल के सम्बन्ध में जारी की गई रसीद वैध रूप से धारण करता हो तथा जिसको जमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा या जमा कराने वाले के वैध हस्तांतरिति द्वारा उसको किये गये रसीद के हस्तांतरण या उस पर (रसीद पर) यथोचित पृष्ठांकन द्वारा हक प्राप्त करता हो।

(ग) "माल" से तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित चीजों में से किसी भी चीज से है।

परन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसा करने के कारण लेखबद्ध करते हुए, अनुसूची में कोई भी चीज जोड़ सकेंगी अथवा उसमें से कोई भी चीज निकाल सकेगी।

(घ) "लाइसेन्स प्राप्त गोदाम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन किसी लाइसेन्स प्राप्त गोदाम से है।

(ङ) "रसीद" से तात्पर्य किसी गोदाम वाले द्वारा गोदाम में माल जमा कराने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में जारी की गई गोदाम की रसीद से है।

C:\Users\RSWC\Desktop\India_Code_Portal\1958_hindi\Rules----- 1958.doc

(च) "गोदाम" से तात्पर्य किसी भी इमारत, संरचना या अन्य रक्षित बाड़े से है जो जमा कराने वाले व्यक्तियों की ओर से माल रखे जाने के प्रयोजनार्थ काम में आये या आसके किन्तु उसमें होटलों, रेल्वे स्टेशनों से सम्बंद्ध निक्षेपालय (Clock rooms) अथवा अन्य लोकवाहकों (Public carriers) के भू-गृहादि तथा वैसे ही स्थान या किसी आढतिया अथवा किसी कमीशन एजेन्ट के भू-गृहादि (premises) सम्मिलित नहीं हैं।

(छ) "गोदाम वाला" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने गोदाम के सम्वन्ध में कोई लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है।

अध्याय २

गोदामों के लिये लाइसेन्स

3. गोदाम वाला:- कोई भी व्यक्ति, सिवाय इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये लाइसेन्स के अधीन तथा उसकी ऐसी शर्तों व निबन्धनों के अनुसार जो समय समय पर निर्धारित की जायें, गोदाम वाले का कारोबार नहीं करेगा।

4. लाइसेन्स दिया जाना:- (1) लाइसेन्स के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकारी को किया जायेगा।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तथा ऐसी फीस, जो निर्धारित की जाये, का भुगतान करने पर, निर्धारित प्राधिकारी लाइसेन्स मन्जूर कर सकेगा।

5. लाइसेन्स के लिये शर्तें:- (1) निर्धारित प्राधिकारी लाइसेन्स देने से पूर्व, अपने आपको इस बारे में संतुष्ट कर लेगा कि-

(क) गोदाम उस श्रेणी या उन श्रेणियों का माल, जिसके/जिनके सम्बन्ध में लाइसेन्स के लिये आवेदन किया गया है, ठीक प्रकार से रखे जाने के लिये उपयुक्त है।

(ख) आवेदक ऐसे गोदाम का संचालन करने के लिए सक्षम है।

(ग) आवेदक ने लाइसेन्स के लिये निर्धारित फीस दे दी है और निर्धारित जमानत, यदि कोई हो, भी दे दी है, और

(घ) निर्धारित प्राधिकारी को राय में ऐसी अन्य कोई वजह या कारण नहीं है जिसके आधार पर लाइसेन्स का आवेदक, निर्योग्य समझा जाये।

(2) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी शर्तो में जिनके अन्तर्गत गोदाम वाले को इस धारा के अधीन लाइसेन्स दिया जाता है कोई शर्त बढा सकेगी अथवा उनमें कोई परिवर्तन कर सकेगी।

6. लाइसेन्स का नवीनीकरण तथा उसकी अवधि धारा-5 के अधीन स्वीकार किया गया प्रत्येक लाइसेन्स निर्धारित अवधि के लिये मान्य होगा और आवेदन किये जाने तथा निर्धारित फीस दिये जाने पर, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित अवधि के लिये नवकृत किया जा सकेगा बशर्ते कि धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य शर्तें पूरी की जाती रहें।

7. लाइसेन्स मन्जूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करने का नोटिस- यदि निर्धारित प्राधिकारी पूर्वोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत लाइसेन्स मन्जूर करने अथवा उसका नवीकरण करने से इन्कार तो वह ऐसा इन्कार करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा और उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि आवेदक को देगा।

8. लाइसेन्स का निलंबन तथा अपखण्डन- धारा ५ के अधीन मंजूर किया गया या धारा ६ के अधीन नवकृत प्रत्येक लाइसेन्स निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा अपखंडित किया जा सकेगा, यदि उसकी राय में गोदाम वाले -

(क) ने दिवालिया अधिनिर्णीत किये जाने के लिये आवेदन किया है अथवा। वह दिवालिया अधिनिर्णीत कर दिया गया है, या

(ख) ने गोदाम पर से अपना नियन्त्रण पूर्णतः अथवा अंशतः हटा लिया है, या

(ग) न एसे गोदाम का संचालन करना बन्द कर दिया है, या

(घ) ने उन सेवाओं के बदले जो उसने की है, अनुचित खर्चा लिया है, या

(ङ) ने किसी अन्य रीति से अपने आपको ऐसे गोदाम का संचालन करने में अक्षम बना लिया है, या

(च) ने लाइसेन्स की शतों में से किसी भी शर्त का या इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है या पालन करने में असफल रहा है।

9. लाइसेन्स के निलंबन तथा अपखंडन का नोटिसः (1) धारा 8 के अधीन निलंबन या अपखंडन की आज्ञा देने से पूर्व, निर्धारित प्राधिकारी, गोदाम वाले को उन धाराओं का वर्णन करते हुए एक नोटिस देगा जिन पर उसके लाइसेन्स को अपखंडित या निलंबित किया जाना प्रस्थापित हो और उससे कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि उसका लाइसेन्स अपखंडित अथवा निलंबित, जैसी भी दशा हो, क्यों न कर दिया जाये।

(2) गोदाम वाले के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद, निर्धारित प्राधिकारी, ऐसी आज्ञा, जो वह उचित समझे, दे सकेगा।

10. लाइसेन्स की वापसी: जब लाइसेन्स की अवधि समाप्त हो जाय या लाइसेन्स निलंबित अथवा अपखण्डित कर दिया जाय तो गोदाम वाला, उस रूप में काम करना बन्द कर देगा, और लाइसेन्स निर्धारित प्राधिकारी को लौटा देगा, जो कि गोदाम वाले को कारोबार का समापन करने के लिये यथोचित समय देगा ।

11. लाइसेन्स की दूसरी प्रति:- (1) जब किसी गोदाम वाले को दिया गया लाइसेन्स खो जाये, नष्ट हो जाय, फट जाये, विकृत हो जाये अथवा अन्यथा अपाठ्य हो जाये तो, गोदाम वाले द्वारा आवेदन किये जाने व. निर्धारित फीस दिये जाने पर निर्धारित प्राधिकारी उसकी लाइसेन्स की दूसरी प्रतिलिपि न जारी करेगा।

(2) जब लाइसेन्स को दूसरी प्रतिलिपि जारी की जाय तो उस पर स्पष्टतः "दूसरी प्रतिलिपि" की मुहर लगाई जायेगी और दूसरी प्रतिलिपि जारी किये जाने की तारीख तथा लाइसेन्स जारी करने वाले कार्यालय के अभिलेख (रेकार्ड) से मूल लाइसेन्स जारी किये जाने की तारीख, दर्ज की जायगी।

अध्याय ३

गोदाम वाले के कर्तव्य

12. जमा कराये गये माल की यथोचित देखभाल:- प्रत्येक गोदाम वाला उसके पास जमा कराये गये माल की ऐसी ही देखभाल करेगा जैसी कि एक साधारण विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के माल की समान परिस्थितियों में तथा समान दशाओं में देखभाल करता है।

13. माल को हानि अथवा क्षति से बचाने के निमित्त पूर्वोपाय :- (१) प्रत्येक गोदाम वाला अपना गोदाम साफ रखेगा तथा उसे सील से बचायेगा और चूहों व अन्य विनाशकारी कीटों से बचाने के लिये सब आवश्यक पूर्वोपाय करेगा तथा ऐसी सब शर्तें, जो निर्धारित की जायें, पूरी करेगा।

(2) कोई भी गोदाम वाला ऐसा कोई माल जमा करना स्वीकार नहीं करेगा जिससे अन्य ऐसे माल को, जो गोदाम में जमा हो या जमा किया जाये, हानि पहुंचाने की संभावना हो ।

14. माल को पहिचान कायम रखना:- प्रत्येक गोदाम वाला किसी एक जमा कराने वाले के माल को अन्य जमा कराने वालों के माल से तथा उसही जमा कराने वाले के ऐसे माल से जिसके लिए अलग रसीद जारी की गई हो इस प्रकार प्रथक रखेगा कि जमा कराया गया माल हर समय पहिचाना जा सके और गोदाम से छुड़ाया जा सके।

परन्तु जब गोदाम में प्रमापीकृत एवं श्रेणीबद्ध माल रखा जाये तो गोदाम वाले तथा जमा कराने वाले के बीच हुए किसी करार के अधीन, भिन्न जमा कराने वालों का उसी प्रकार का माल

C:\Users\RSWC\Desktop\India_Code_Portal\1958_hindi\Rules----- 1958.doc

इकट्ठा ही रखा जा सकेगा और प्रत्येक माल जमा कराने वाला व्यक्ति वजन या किस्म, जैसी भी दशा हो, के अनुसार माल के केवल अपने अंश का जैसा कि उसकी रसीद में दिखाया गया है, हकदार होगा।

15. माल जब गोदाम में बिगड़ रहा हो उसका निपटारा:- (1) जब कभी गोदाम में जमा कराया हुआ माल ऐसे कारणों से, जो गोदाम वालें के नियन्त्रण से बाहर हो, बिगड़ जाये तो वह जमा कराने वाले को माल के इस प्रकार बिगड़ने की तत्काल सूचना देगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि यथाविधि भरपाई की रसीद देकर तथा गोदाम बाले द्वार। प्राप्य समस्त व्ययों का भुगतान कर के उस माल को डिलीवरी तुरन्त लेले।

स्पष्टीकरण:- वजन या प्रपुंज (बल्क) में सिकुड़ने या सूखने के कारण कमी अथवा बजन या प्रपुंज में सील पहुंचाने के कारण वृद्धि हो जाना, यदि कमी या वृद्धि ऐसी सीमाओं से, जो निर्धारित की जायें, बढ़ जाय, तो इस उप-धारा के अर्थ में (मालका) बिगडना समझा जायेगा।

(2) यदि जमा कराने वाला व्यक्ति युक्तियुक्त समय के भीतर, उप-धारा (1) के अन्तर्गत उसे दिये गये किसी नोटिस का पालन न करे तो गोदाम वाला माल को गोदाम से हटवा सकेगा और उसको जमा कराने वाले व्यक्ति की लागत तथा जोखिम पर आम निलामी द्वारा बिकवा सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो गोदाम में जमा कराये गये किसी भी माल में अथवा ऐसे माल की रसीद में हित रखता हो, अपने हित को तथा उसके प्रकार की गोदाम वाले को लिखित सूचना दे सकेगा और गोदामवाला उसका अभिलेख रखेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति लिखित में यह प्रार्थना करे कि उसे माल की दशा के बारे में सूचना दी जाये और वह ऐसी सूचना देने में होने वाला खर्चा देने को सहमत हो तो गोदाम वाला उसे तदनुसार सूचना देगा।

16. माल को डिलीवरी:- (1) प्रत्येक गोदाम वाला, युक्तियुक्त कारण के अभाव में उसके गोदाम में जमा माल, जमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा मांग किये जाने पर तथा गोदाम वाले को यथाविधि भरपाई की रसीद दी जाने व समस्त देय खर्चा अदा किये जाने पर बिना आवश्यक विलम्ब के जमा कराने वाले व्यक्ति को वे देगा।

(2) गोदामवाले और जमा कराने वाले व्यक्ति के बीच हुए किसो करार के अधीन, जमा कराने वाला व्यक्ति गोदाम में जमा कराये गये माल की आंशिक डिलोवरी ले सकेगा।

17. संग्रहीत माल में कमी अथवा आधिक्य के लिये गोदाम वाले का दायित्वः- (1) धारा 16 को उप-धारा (1) और (2) तथा धारा 15 को उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, वजन अथवा प्रपुंज (BULK) में माल के सूखने या सिकुड़ने से, निर्धारित सीमाओं के भीतर माल सील जाने के कारण उसमें होने वाली वृद्धि को (माल का) बिगड़ना नहीं समझा जायेगा ।

(2) यदि सील अथवा अन्य कारणों से गोदाम में संग्रहीत माल में आधिक्य हो जाये तो गोदाम वाला उसका हकदार नहीं होगा।

(3) यदि सूखने अथवा ऐसे अन्य कारणों से, जो गोदाम वाले के नियन्त्रण से परे हो, गोदाम में संग्रहीत माल में कोई कमी हो जाय तो गोदाम वाला उसका उत्तरदायी नहीं होगा ।

(4) ऐसे किसी विवाद के उठ खड़े होने की दशा में कि आया ऐसी कमी या आधिक्य माल के सूखने या सील जान के कारण या ऐसे अन्य कारणों से हैं, जो गोदाम वाले नियन्त्रण से परे हैं तो वह मामला निर्धारित प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

18. गोदामों में रखे माल का बीमा:- गोदामों में रखे माल का आग, वर्षा, बाढ, चोरी, बल्वा या संक्षोभ या अन्य किसी भी निर्धारित घटना से हानि या क्षति के लिए ऐसी रीति से बीमा किया जायेगा जो निर्धारित की जाये।

19. विभेद निषिद्ध:- प्रत्येक गोदाम वाला, जितनी गोदाम की धारिता हो, उसको देखते हुए उसमें रखने के लिए, उसके द्वारा गोदाम में सामान्यतया रखे जाने बाले किस्म का ऐसा माल, जो

कारोबार के साधारण एवं सामान्य क्रम में सामान्य रीति से रखे जान हेतु उपयुक्त अवस्था में उसे दिया जाय, उन व्यक्तियों के बीच जो उसके गोदाम को सुबिधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक हों, बिना कोई भेद भाव किये, लेगा:

किन्तु गोदाम वाला किसी सहकारी समिति को ऐसी रियायतें देगा जो निर्धारित की जाय।

20. गोदाम बाला गोदाम में रखे माल के संबंध में व्यापार नहीं करेगा और उसके बदले में उधार नहीं देगा:- किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई भो गोदाम वाला, सिवाय किसी सहकारी समिति या सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेन्ट एन्ड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन एक्ट, 1956 (केन्द्रीय एक्ट 28 ऑफ 1956) के अधीन स्थापित किसी स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के, उसके गोदाम में जमा किये जाने के लिये उसके द्वारा प्राप्त माल के विषय में स्वयं अपनी ओर से या दूसरों की ओर से व्यापार नहीं करेगा अथवा रुपया उधार नहीं देगा।

21. लेखे आदि का रखा जानाः गोदाम वाला, लेखे पुस्तकें और अभिलेख ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे तरीके से रखेगा जो निर्धारित किये जायें।

अध्याय-4

माल का वर्गीकरण तथा निरीक्षण

22. निरोक्षण:- निर्धारित प्राधिकारी, कोरोबार के टाइम में किसी भी समय अपने आप को इस बात से सन्तुष्ट करने के प्रयोजनार्थ कि इस अधिनियम को तथा नियमों की अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है किसी लाइसेन्स प्राप्त गोदाम का उसकी मशीनों तथा उपकरणों का, उसमें जमा कराये गये माल और तत्सम्बन्धी लेखे की, पुस्तकों एवं अभिलेखों का निरीक्षण अथवा परीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा।

23. तोलने वालों, नमूने देने वालों (Samplers) और वर्गीकरण करने वालों द्वारा लाइसेन्स लिया जाना:- (1) निर्धारित प्राधिकारी, निर्धारित रीति से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर व निर्धारित फीस का भुगतान करने पर, उन व्यक्तियों को जो ऐसी योग्यताएं रखते हों, लाइसेन्स प्राप्त गोदामों में जमा हुए या जमा कराये जाने वाले माल के तोलने वालों, नमूना देने वालों और वर्गीकरण करने वालों के रूप में कार्य करने तथा उनके द्वारा परीक्षित माल के वजन, प्रपुंज, किस्म या वर्ग के विषय में प्रमाण-पत्र जारी करने का उनको अधिकार प्रदान करते हुए, लाइसेन्स जारी कर सकेगा।

(2) तौलने वालों, नमूने देने वालों तथा वर्गीकरण करने वालों द्वारा गोदाम में रखे माल के वजन, प्रपुंज, किस्म या वर्ग के बारे में जारी किये गये प्रमाण- पत्रों से, उप-धारा (3) के अधीन मध्यस्थ बोर्ड के किसी विनिश्चय तथा आगे धारा 24 के प्रावधानों के अधीन, गोदाम वाला तथा जमा कराने वाला बाध्य होगा।

(3) निर्धारित प्राधिकारी, निर्धारित तरीके से तोलने वालों, नमूने देने वालों व वर्गीकरण करने वालों या गोदाम बालों के विरुद्ध गोदामों में रखे गये माल के वजन, प्रपुंज, किस्म या वर्ग से सम्बन्धित शिकायतों पर, निर्धारित रीति से विनिश्चय करने हेतु एक मध्यस्थ बोर्ड निर्मित कर सकेगा। मध्यस्य बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और उस पर किसी भो विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जायगी।

(4) कोई भी व्यक्ति जिसने इस धारा के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त नहीं किया है उक्त माल के तोलने वालों, नमूने देने वालों या वर्गीकरण करने वालों के रूप में काम नहीं करेगा और न ऐसे काम करने वालों के रूप में अपने आप को जतलाएगा ।

24. ऐसे लाइसेन्सों के विषय में प्रावधान:- (1) किसी तोलने वाले, नमूने देने वाले या वर्गीकरण करने वाले को धारा 23 के अधीन दिया गया प्रत्येक लाइसेन्स निर्धारित अवधि के लिये

मान्य रहेगा और आवेदन करने पर तथा निर्धारित फीस देने पर निर्धारित प्राधिकारों द्वारा समय समय पर निर्धारित अवधि के लिये नवकृत किया जा सकेगा।

(2) निर्धारित प्राधिकारी ऐसा कोई भी लाइसेन्स, लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति को उन धाराओं, जिन पर कार्यवाही किये जाने की तजवीज हो, की सूचना देकर तथा उसके खिलाफ कारण बताने का उसे युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपखंडित अथवा निलंबित कर सकेगा।

(3) ऐसे किसी भी लाइसेन्स का धारक उसकी (लाइसेन्स) अवधि समाप्त होने पर या उसे निलंबित अथवा अपखंडित करने की आज्ञा प्राप्त होने पर, वह लाइसेन्स निर्धारित प्राधिकारी को लौटा देगा।

25. माल इत्यादि के तोलने के लिये सुविधायें दिया जाना:- प्रत्येक गोदाम वाला उसके गोदाम में जमा किये गये किसी माल के तोलने, नमूने देने तथा वर्गीकरण करने के लिए उचित सुविधायें देगा।

अध्याय-5

गोदाम की रसीदें

26. रसीद जारी किया जाना:- गोदाम वाला उसके गोदाम में जमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा जमा कराये गये माल की रसीद जारी करेगा जिसमें माल का पूरा ब्यौरा होगा तथा जो निर्धारित प्रपत्र में होगी।

27. गोदामों में जमा माल की रसीदें: गोदाम वाले द्वारा जारी की गई रसीद, जब तक कि उसके ऊपर अन्यथा लिखा न हो, पृष्ठांकन के जरिये हस्तान्तरणीय होगी तथा उसके वैध-धारक को उसमें लिखा माल, उन्हीं शर्तों पर लेने का हकदार बनायेगी जो जमा कराने वाले मूल व्यक्ति को दशा में लागू होती।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रावधान ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की गई रसीद पर लाग नहीं होंगे जिसने इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त नहीं किया है.

28. रसीद को दूसरी प्रतिलिपि: यदि कोई रसीद खो जाये, नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाये तो गोदाम वाला, (माल) जमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने तथा उसके द्वारा निर्धारित फीस अदा किये जाने पर, रसीद की दूसरी प्रतिलिपि ऐसी शर्तों पर जिनका लगाना वह उचित समझे, जारी करेगा, ये शतें वे होंगी जो तत्प्रयोजनार्थ नियमों में समाविष्ट हों।

अध्याय-5

विविध

29. निर्धारित प्राधिकारी को कतिपय आज्ञाओं के विरुद्ध अपील:- (1) निर्धारित प्राधिकारों की ऐसी किसी भी आज्ञा जिसमें गोदाम वाले को ऐसा कोई लाइसेन्स मंजूर या नवकृत किये जाने से इन्कार किया गया हो या जिस के द्वारा ऐसा कोई लाइसेन्स निलंबित या अपखंडित किया गया हो, या धारा 17 के अधीन दी गई धाराओं के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो निर्धारित की जाय, की जायेगी।

(2) ऐसे अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

30. लाइसेन्स के निलंबन या अपखंडन पर कोई मुझावजा न दिया जाना: जब इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेन्स निलंबित अथवा अपखंडित कर दिया जाय तो लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति उसके लिए किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा और न ही वह उसके द्वारा लाइसेन्स के लिये अदा की गई फीस की वापिसी का हकदार होगा।

31. अधिनियम के विरुद्ध संविदाओं तथा करारों का प्रवृत्तहीन होना:- प्रत्येक संविदा अथवा करार जो इस अधिनियम या नियमों के प्रावधानों से असंगत हो, इस प्रकार असंगति की सीमा तक, प्रवृत्तहीन होगा।

32. शास्ति और प्रक्रिया:- (1) जो कोई-

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेन्स प्राप्त किये बिना लाइसेन्स प्राप्त गोदाम वाले के रूप में काम करता है या अपने आप को जतलाता है, या

(ख) जानबूझकर इस अधिनियम या नियमों के प्रावधानों अथवा अपेक्षाओं में से किसी का भी जानबूझकर उल्लंघन करता है या पालन करने में विफल रहता है,

वह एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से अथवा एक हजार रुपये तक के अर्थदण्ड से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी या पार्षद (Association) अथवा व्यक्तियों का निकाय हो, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, तो ऐसी कम्पनी, पार्षद् अथवा निकाय, निकाय के कारबार का प्रबन्ध करने वाला प्रबन्धक, सचिव, एजेन्ट या अन्य प्रधान अधिकारी ऐसे अपराध का दोषी समझा जायगा।

33. निरीक्षण के लिए सुविधाएँ:- प्रत्येक गोदाम वाला जमा कराने वाले को माल का निरीक्षण करने तथा अपने आप को इस बात से संतुष्ट करने के लिए कि उसके माल की उचित देखभाल होती है, आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

34. नियमः (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु, नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये प्रावधान किया जा सकेगा-

(क) ऐसे मामले, जिनका निर्धारित किया जाना इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतया अपेक्षित या अनुमत हो।

(ख) गोदाम वालों को दिये जाने वाले लाइसेन्सों में निर्दिष्ट की जाने वाली शर्ते तथा ऐसे लाइसेन्सों का प्रपत्र।

(ग) गोदाम वालों को लाइसेन्सों की मंजूरी, उनके निलंबन अथवा अपखंडन का तथा गोदाम वालों व लाइसेन्स प्राप्त गोदामों को समेकित सूचियों का प्रकाशन।

(घ) गोदाम वालों द्वारा उनकी सेवाओं के लिये लगाये जाने वाले प्रभार (Charges)

(ङ) गोदामवालों द्वारा रखो जाने बाली पुस्तक, लेखे तथा अभिलेख।

(च) लाइसेन्स-प्राप्त गोदामों में उस माल की बिक्री के लिये, जो खराब हो रहा हो या होने को हो, सार्वजनिक नीलामों का संचालन तथा वह तरीका जिसमें ऐसे विक्रयों से प्राप्त रकम का लेखा दिया जायेगा।

(छ) एक ओर माल के वजन अथवा प्रपुंज में सिकुड़ने या सूखने के कारण होने वाली कमियों और दूसरी ओर सील आजाने से होने वाली वृद्धियों का पैमाना।

(ज) लाइसेन्स-प्राप्त गोदामों और उनमें संग्रहीत माल का रोगाणुनाशन (Disinfection)

(झ) परिस्थितियां, जिनमें गोदाम वाले द्वारा दी गई प्रतिभूति या प्रस्तुत बान्ड जब्त किये जा सकेंगे और वह रीति जिसमें ऐसी जब्ती के फलस्वरूप देय हो जाने वाली कोई भी राशि वसूल की जा सकेगी।

(अं.) गोदाम वालों के कारोबार का सामान्यतया कुशल संचालन।

(ट) तौलने वालों, नमूना देने वालों या वर्गीकरण करने वालों के रूप में लाइसेन्सों की मन्जूरी के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों की योग्यताएं, उनके लाइसेन्सों में निविष्ट की जाने वाली शर्तें,

उनके द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र तथा वे आधार जिन पर लाइसेन्स निलंबित अथवा अपखंडित किये जा सकेंगे।

(ठ) लाइसेन्स प्राप्त गोदामों में काम में लाये जाने वाले प्रमाणिक बाट व माप तया माल का वर्गीकरण।

(ड) प्राधिकारी जिसको तथा समयावधि जिसके भीतर धारा 29 के अधीन अपील को जानी चाहिए।

(ढ) इस अधिनियम के अधीन नोटिस देने की रीति।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति पूर्व प्रकाशन को शर्त के अधीन होगी।

35. मुक्त करने को शक्तिः- राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, इस अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं भी प्रावधानों से मुक्त कर सकेगी।

36. निरसन :- भूतपूर्व जयपुर राज्य के क्षेत्र में प्रभावशील जयपुर वेयर हाउसेज एक्ट, 1948 जयपुर (जयपुर एक्ट 28 आफ 1948), आबू क्षेत्र में प्रभावशील बाम्बे वेयर हाउसेज एक्ट, 1947 (बाम्बे एक्ट 56 आफ 1947) तथा ऐसे किसी भी क्षेत्र में जो अब राजस्थान राज्य का अंग है, प्रभावशील तदनुरूप समस्त अन्य विधियां एतद्वारा निरस्त को जाती है।

अनुसूची

देखिये धारा 2 (ग)

(माल जिस पर यह अधिनियम लागू होता है)

1. रेशे वाला माल (Fibres) (1) कपास (Cotton) (ओटी हुई तथा बिना ओटी हुई) (2) सन (Hemp)

2. धान्य (Cereals)- (1) गेहूं (2) ज्वार (3) बाजरा (4) जो (5) चना (6) मक्की (7) धान (भूसा निकाला हुआ तथा भूसा सहित)।

3. दालें (Pulses) : (1) उर्द (2) मूंग (3) मोंठ (4) मसूर (5) तूर (6) चना (7) चौंला।

4. तिलहन (Oil Seeds): (1) मूंगफली (बिना छिली और छिली हुई) (2) अलसी (3) तिल (5) सरसों (5) बिनोला (6) अण्डी ।

5. प्रमीलक (Narcotics):- (1) तम्बाकू ।

6. गुड, शक्कर और गन्ना।

7. फलः- (1) आम (2) मौसम्बी (3) संतरा (4) नीबू (5) खरबूजे।

8. सब्जियां:- (1) आलू (2) प्याज (3) टमाटर (4) पत्तेदार और ताजा सब्जियां (5) शकरकन्दी (Sweet Potatoes)

9. पशुपालन संबंधी पैदावार : (1) ऊन (2) मक्खन (3) घी (4) दूध।

10. मिर्चादि, मसाले ओर अन्यः (1) धनिया (2) मिर्ची (3) हल्दी (4) लहसुन (5) अदरक (6) जीरा (7) राई (8) मेथी।

11. घास और चारा।

प्रभुदयाल लोईवाल, शासन सचिव